

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

संस्कृत संज्ञासूची



सत्यमेव जयते

बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के
संकल्पों, परिपत्रों आदि का संकलन
[*COMPENDIUM OF RESOLUTIONS, CIRCULARS, ETC.
OF THE DEPARTMENT OF PERSONNEL
AND ADMINISTRATIVE REFORMS*]

(1979 से 2000 तक के संकलित)

संस्कृत संज्ञासूची **खंड - I** संस्कृत संज्ञासूची
English Key Words **VOLUME - I** English Key Words

संस्कृत संज्ञासूची

□ © बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

□ वर्ष : 2001

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि०, पटना द्वारा
आनन्द मुद्रण, द्रोपदी सदन, शाहगंज, मुसल्लहपुर हाट, पटना-6 में मुद्रित
☎ : 672295


प्राक्कथन

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्मित सरकारी अनुदेशों / परिपत्रों / संकल्पों का एक संकलन पूर्व में दो खंडों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें अगस्त, 1978 तक निर्गत अनुदेश / परिपत्र / संकल्प संकलित हैं। अगस्त 1978 के बाद बहुत से महत्वपूर्ण अनुदेश / परिपत्र / संकल्प इस विभाग से निर्गत हुए हैं जिनका संकलन आवश्यक समझा गया। तदनुसार संकलन कार्य को पूरा कराने के प्रयोजनार्थ विभागीय पदाधिकारियों की क्रमशः दिनांक 22-01-2000, 24-01-2000, 29-01-2000 एवं 7-02-2000 की बैठक में विचार किया गया। विचारोपरान्त श्री पारसनाथ गुप्ता, प्रशाखा पदाधिकारी, श्री श्री मोहन झा, प्रशाखा पदाधिकारी, श्री अंजन बनर्जी, सहायक, श्री अवधेश कुमार बरियार, सहायक, श्री कमलेश्वर प्रसाद, सहायक, श्री सम्पत कुमार तिवारी, अभिलेखवाह एवं श्री कमल श्रीवास्तव, अनुसेवक की एक टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा संकलन कार्य को पूरा किये जाने के बाद संकलन की समीक्षा दिनांक 29-04-2000 की विभागीय पदाधिकारियों की बैठक में की गयी। समीक्षोपरान्त संकलन पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे मुद्रित कराने की अनुशंसा की गयी।

प्रस्तुत संकलित अनुदेशों / परिपत्रों / संकल्पों के अध्यायीकरण, विषय सूची बनाने तथा इसे पुस्तकाकार प्रदान कर दो खंडों में प्रेस कॉपी बनाने का कार्य श्री श्री मोहन झा, प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा किया गया है। उन्होंने जिस लगन एवं परिश्रम के साथ इस कार्य को पूरा किया है उसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं।

प्रस्तुत संकलन के अनुदेश / परिपत्र / संकल्प मूल अनुदेश / परिपत्र / संकल्प के प्रतिरूप हैं। असंगति या अन्तर होने की दशा में मूल आदेश / परिपत्र / संकल्प ही प्रमाणित माने जायेंगे। प्रस्तुत संकलन के बारे में यदि कोई सुझाव हो अथवा इसमें कोई त्रुटि प्रतीत हो तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इस संबंध में सुझावों का स्वागत करेगा।

पटना, दिनांक मार्च, 2001


अरविंद प्रसाद
सरकार के सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

खंड-I
VOLUME-I